सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेसनोट दिनांक 14.09.2025

टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ,

कब्जे से चोरी के आभूषण बेचकर अर्जित किये कुल 2,10,000/- रुपये व 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस **थाना भरथना पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/छिनैती/टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 13/14.09.2025 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत कृष्णानगर चौराहे पर भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि स्टेशन के पास महिला से टप्पेबाजी करने वाले 02 व्यक्ति कृष्णानगर चौराहे से तुरैया पुल की ओर जाने वाले रास्ते पर डाइव एण्ड डाईन रेस्टोरेन्ट को जाने वाले तिराहे पर खड़े है जो किसी घटना कारित करने के फिराक में है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना भरथना पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे जिस पर **पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया ।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो तो अभियुक्तगण राजा पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण तथा रंजीत प्रताप पुत्र श्रीकृष्ण कुमार के कब्जे से **01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 तथा 2,10,000/- रुपये नकद** बरामद हुये । बरामद तमंचा के संबंध मे लाइसेंस मागे जाने पर दिखाने मे असमर्थ रहें ।।

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर टप्पेबाजी की 02 घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया:-

1. दिनांक 11/08/2025 को हम दोनो व हमारे अन्य 02 साथी भरथना आकर घूम फिर कर घटना कारित करने की फिराक में थे तभी बस स्टैन्ड भरथना के पास एक महिला जो सोने के गहने पहने हुई थी दिखाई दी । जिस पर योजनाबद्ध तरीके हम दोनो लोग पुलिस और आने जाने वाले लोगों की निगरानी करने लगे तथा 02 साथी उस महिला से बात चीत करने लगे तथा जिनमे से एक ने अपनी रुमाल में पीले रंग की सोने जैसी बिस्किट को रुमाल से नीचे गिरा दिया व एक ने उस बिस्किट को उठाकर महिला के हाथ में रख दिया और कहा कि हम सोने को तुरन्त दुगना कर देतें है जिससे वह महिला लालच में आ गयी और हम लोग आपस में एक दूसरे को अलग अलग दर्शाकर बातचीत करते हुए उसे अपने साथ रेलवे स्टेशन भरथना की ओर ले गये और स्टेशन के पास एकांत में अपनी बातो में फसाँकर उससे कहा कि तुम अपने गहने उतार कर दे दो हम अभी इसे दुगना करके दे देगें तो उस महिला ने अपने हाथ मे पहनी हुई **दो सोने की अंगूठी. एक जोडी कानो में पहने हुए सोने के झाले व गले में पहना मंगलसूत्र** उतारकर दे दिया तभी चालाकी से पहले रुमाल में बंधा हुआ पत्थर का टुकड़ा सोने का बिस्किट बताकर उस महिला को पकडा दिया और कहा कि इसे थोड़ी देर बाद खोलना नही तो सोना दुगना नही होगा। वह महिला फिर बस स्टैण्ड की ओर चली गई और हम लोग मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चले आये और गहनो को राह चलते लोगो को अपनी

मजबूरी बताते हुए कम कीमत में बेच दिया तथा रुपयों को आपस मे बराबर बाँट लिया। उक्त घटना के संबंध मे थाना भरथना पर ***मु0अ0सं0 254/25 धारा 318(4) बीएनएस*** पंजीकृत है।

2. दिनांक 31.05.2025 को बकेवर की ओर जाने वाले भरथना टैम्पो स्टैण्ड पर बस से उतरी महिला द्वारा पर्स से किराये का पैसा देते समय पर्स में रखे गहने देख लिये। हम लोग उस महिला पीछा करते रहे और मौका मिलते ही लखना नहर पुल के पास उसका पर्स चोरी कर लिया तथा गहनो को आपस में बांट लिया तथा राह चलते लोगो को कम कीमत में बेच दिया था। उक्त घटना के संबंध मे थाना बकेवर पर ***मु0अ0सं0 150/25 धारा 305(b) बीएनएस*** पंजीकृत है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना भरथना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/25 धारा 318(4) बीएनएस मे धारा 317(2)बीएनएस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0150/25 धारा 305(b) मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. राजा पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण निवासी भारत टाकीज के पीछे शांति नगर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद **उम्र 22 वर्ष**।
2. रंजीत प्रताप पुत्र श्रीकृष्ण कुमार निवासी बंशीगौरा थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी **उम्र 40 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 254/25 धारा 318(4)/317(2)बीएनएस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0150/25 धारा 305(b)/317(2) बीएनएस थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 1,50,000/- रुपये **मु0अ0सं0 150/25 थाना बकेवर से संबंधित।**
2. 60,000/- रुपये **मु0अ0सं0 254/25 थाना भरथना से संबंधित।**

कुल 2,10,000/-रु0

3. 01 तमन्चा 315 बोर।
4. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीमः- प्र0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना भरथना,उ0नि0 जसवन्त सिंह, उ0नि0 भगवान सिंह हे0का0 उपदेश कुमार, का0 अरूण कसाना, का0 अजय सिंह मय चा0 का0 विशाल।